भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4622

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट सुविधाएं

4622. डॉ॰ ए॰ चैल्ला कुमारः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में स्वयं सहायता समूहों (एस॰एच॰जी॰) द्वारा क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए विहित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार के पास पंजीकृत एसएचजी जो आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों से क्रेडिट सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, का कोई ब्यौरा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को क्रेडिट लिंकेज की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त करने की पात्रता के मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एसएचजी के अपने बही खाते के अनुसार, न कि बचत खाता खोले जाने की तिथि से कम से कम 6 माह से सक्रिय अस्तित्व में होना शामिल है। इसके द्वारा "पंचसूत्र" अर्थात्- नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर-ऋण पोषण, समय पर पुनर्भुगतान तथा अद्यतित बही खाता का अनुसरण किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानदंडों के अनुसार इसे अर्हता प्राप्त होनी चाहिए।

(ख) और (ग): वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा वर्तमान वर्ष हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) तथा **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)** के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में एसएचजी द्वारा लिए गए ऋण का राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** तथा **अनुबंध-II** में है।

(घ) और (ड.): किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने, फसल कटाई उपरांत व्यय, उत्पाद विपणन ऋण, खपत व्यय, फार्म आस्तियों के रख-रखाव के लिए कार्यशील पूंजी, इत्यादि के लिए समर्थ बनाती है। यह योजना वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कालांतर में केसीसी की अतिरिक्त विशेषता के रूप में एटीएम समर्थित रूपे-डेबिट कार्ड को जारी किया जाना शामिल किया गया है। वर्तमान में 6.8 करोड़ से अधिक केसीसी परिचालनरत/सक्रिय हैं।

*****

दिनांक 22.07.2019 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4622 में संदर्भित अनुबंध-I

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत एसएचजी की संख्या

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20 (मई 2019 तक)
1	आंध्र प्रदेश	340377	573276	622816	101173
2	अरुणाचल प्रदेश	37	33	21	3
3	असम	14401	17933	19793	2184
4	बिहार	128494	347575	401113	64772
5	छत्तीसगढ़	23417	30061	44616	6225
6	गोवा	382	508	758	107
7	गुजरात	15796	32452	28001	2299
8	हरियाणा	2094	6175	6159	1761
9	हिमाचल प्रदेश	1810	4407	4505	588
10	जम्मू और कश्मीर	3396	5280	7538	1233
11	झारखंड	12206	37660	46584	11278
12	कर्नाटक	207052	386117	488277	297998
13	केरल	71910	82451	87225	6709
14	मध्य प्रदेश	14165	36437	36052	4719
15	महाराष्ट्र	63732	73342	92816	12293
16	मणिपुर	53	181	403	20
17	मेघालय	65	452	1742	319
18	मिजोरम	1	142	1005	51
19	नागालैंड	75	83	757	143
20	ओडिशा	64265	117862	163004	58264
21	पंजाब	446	3365	3535	213
22	राजस्थान	27384	34578	42180	7427
23	सिक्किम	181	732	1190	123
24	तमिलनाडु	145036	141009	144345	16863
25	तेलंगाना	215107	332967	336212	23974
26	त्रिपुरा	102	823	4147	558
28	उत्तराखंड	1140	2020	3167	404
27	उत्तर प्रदेश	10587	25120	23497	3919
29	पश्चिम बंगाल	233557	379396	475047	132388
	कुल	**1597268**	**2672437**	**3086505**	**758008**

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।

दिनांक 22.07.2019 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4622 में संदर्भित अनुबंध-II

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत एसएचजी की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20 (18.06.2019 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	63538	67918	48285	338
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0
3	असम	63	366	458	29
4	बिहार	238	103	209	21
5	छत्तीसगढ़	1440	1867	1820	84
6	गोवा	0	0	0	0
7	गुजरात	49	1071	1857	108
8	हरियाणा	113	0	93	3
9	हिमाचल प्रदेश	46	104	137	10
10	जम्मू और कश्मीर	72	22	0	0
11	झारखंड	51	271	256	12
12	कर्नाटक	1234	2666	153	15
13	केरल	4774	5972	6375	128
14	मध्य प्रदेश	1610	3315	2930	68
15	महाराष्ट्र	1195	2919	7771	395
16	मणिपुर	70	122	17	0
17	मेघालय	0	0	1	0
18	मिजोरम	21	18	23	0
19	नागालैंड	21	0	0	0
20	ओडिशा	406	1924	2371	51
21	पंजाब	1	2	1	0
22	राजस्थान	198	64	773	100
23	सिक्किम	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	63775	4729	8417	354
25	तेलंगाना	29836	25661	21449	1691
26	त्रिपुरा	0	12240	17	5
27	उत्तर प्रदेश	106	1273	1220	42
28	उत्तराखंड	2	4	8	6
29	पश्चिम बंगाल	1747	3518	6178	410
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	4	8	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	0	0	43	0
	कुल	**170610**	**136157**	**110863**	**3870**

स्रोत: आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।